

Railway Concession Certificate for "Blindness"

Paste passport  
Size Photograph  
Duly signed and  
Stamped by the  
Issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smt. \_\_\_\_\_ whose particulars are furnished below is a bonafide person with disability "Blindness" as per definition where a person has any of the following conditions, after best correction (i.e. Persons having visual impairment of 90% and above)-

- I. Total absence of sight; or
- II. Visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 by Snellen's chart in better eye with best possible corrections; or
- III. Limitation of field of vision subtending an angle of less than 10 degree in better eye.

Particulars:

- a) Address: \_\_\_\_\_
- b) Father's/Husband's Name: \_\_\_\_\_
- c) Age: \_\_\_\_\_
- d) Sex: \_\_\_\_\_
- e) Nature of Handicap: (either of the above 3 categories): \_\_\_\_\_
- f) Signature or thumb impression  
of the person seeking concession certificate: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Signature of Government Doctor)

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Clear seal of Government Hospital

\_\_\_\_\_  
Seal containing full name and  
Registration Number of the Doctor

- (1) The certificate will be valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
- (2) The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
- (3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession across the counter. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
- (4) No alternation in the form is permitted. **This form could be uploaded alongwith other required document on <https://divyangjanid.indianrail.gov.in/> for issuance of Divyangjan ID card, for booking of e-tickets also.** Railway Divyangjan ID card can also be prepared on the basis of UDID card/ certificate issued under instructions of Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE). The requirement of the above Railway certificate would be dispensed in such case. In this case, the validity of the Railway Divyangjan ID would be co-terminus with the validity of that Unique Disability ID card (UDID)/ certificate.

## “दृष्टिहीन” के लिए रेलवे रियायत प्रमाणपत्र

जारी करने वाले डाक्टर द्वारा  
विधिवत रूप से हस्ताक्षरित  
एवं मोहर लगाया हुआ  
पासपोर्ट आकार का  
फोटो चिपकाए

यह प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं, परिभाषा के अनुसार "दृष्टिहीन" दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति हैं, जहाँ किसी व्यक्ति की पूर्ण चिकित्सकीय जांच के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो (अर्थात् 90% और उससे अधिक दृष्टि बाधित वाले व्यक्ति) -

- (i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; अथवा
- (ii) सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में दृष्टि तीक्ष्णता खेलन के चार्ट द्वारा 3/60 (या 10/200 से कम) से कम अथवा
- (iii) बेहतर आंख में 10 डिग्री से कम के कोण (एंगल) को घटाने वाली दृष्टि के क्षेत्र की सीमा।

विवरण:

क) पता: \_\_\_\_\_

ख) पिता/पति का नाम: \_\_\_\_\_

ग) आयु: \_\_\_\_\_

घ) लिंग: \_\_\_\_\_

ङ) दिव्यांगता की प्रकृति: (उपरोक्त 3 श्रेणियों में से कोई भी): \_\_\_\_\_

च) रियायत प्रमाण पत्र मांगने वाले

व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान: \_\_\_\_\_

(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर

डॉक्टर का पूरा नाम और पंजीकरण संख्या वाली मोहर

- (1) यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष और (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
- (2) फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर का आंशिक हिस्सा फोटो पर एवं आंशिक हिस्सा प्रमाणपत्र पर हो।
- (3) रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, तो मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (4) इस फार्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है। ई-टिकट बुक करने के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ <https://divyangjanid.indianrail.gov.in/> पर इस फार्म को भी अपलोड किया जा सकता है। रेलवे दिव्यांगजन आईडी कार्ड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) के निर्देशों के तहत जारी यूडीआईडी कार्ड/प्रमाण पत्र के आधार पर भी तैयार किया जा सकता है। ऐसे मामले में उपरोक्त रेलवे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस मामले में, रेलवे दिव्यांगजन आईडी की वैधता उस विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड (यूडीआईडी)/प्रमाण पत्र की वैधता के समान होगी।